भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1339

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

पीएमएमवाई के तहत ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि

1339. श्री गिरिधारी यादव:
श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की वर्तमान सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है और इसका मुख्य कारण हर महीने जीएसटी का भुगतान है;

(ग) क्या सरकार एमएसएमई को इस संकट से उबारने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख): ऐसा कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र में संकट प्रत्येक माह जीएसटी के भुगतान के कारण है। तथापि, देश में एमएसएमई और छोटे खुदरा विक्रेताओं की सहायता करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर कई कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(i) वस्तुओं की आपूर्ति में लगी संस्थाओं के लिए जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 1अप्रैल, 2019 से 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा) कर दिया गया है।

(ii) कम्पोजिशन योजना जो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी है, के अंतर्गत वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वार्षिक टर्नओवर की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये (कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के अलावा) कर दी गई है,

(iii) तिमाही रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की एक योजना शुरू की गई है, जहां 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे करदाताओं के पास मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है;

(iv) जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को कॉमन पोर्टल पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है;

(v) पंजीकरण के लिए आवेदन का मान्य अनुमोदन जहां उपयुक्त अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है;

(vi) करदाताओं की सुविधा के लिए और डिजिटल भुगतान को और प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए यूपीआई और आईएमपीएस को एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ): इसके अलावा, सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्तीय राहत और ऋण सहायता पैकेजों की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया (स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये);
- निवेश और टर्नओवर की सीमा में काफी वृद्धि की गई है;
- निधियों का नया कोष ;
- पहली बार उद्यमियों के लिए योजना;
- फुटवियर और लेदर सेक्टरों, खिलौना सेक्टर और खाद्य प्रसंस्करण के लिए फोकस उत्पाद योजना।

*****